भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

SPEED POST
स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

154/C

पत्र सं0 8बी/यू.पी/07/1/2014/एफ.सी./1209

दिनॉक : 03.12.2014 04

सेवा में,

प्रमुख सचिव (पर्या0 एवं वन)
दिल्ली राज्य सरकार,
छठवा स्तर, सी–अनुभाग,
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 इस्टेट,
नई दिल्ली–110002

On file
10.12

Suresha

विषयः मैट्रो रेल ट्रांसिट सिस्टम (एम0आर0टी0एस0) द्वारा विनोद नगर डिपो के निर्माण हेतु 19.90 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, नई दिल्ली का पत्रांक–1/सी0एफ0/एफ0सी0ए0/07–08/भाग–V/6207-08, Dt. 28-11-2014

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, नई दिल्ली का पत्रांक–11/136/पी0ए0/सी0सी0एफ0/11–12/डी0एम0आर0 पी–।।।/भाग–1/पार्ट–1/4875, दिनांक– 30.09.2014 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.11.2014 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, नई दिल्ली के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार केन्द्र मैट्रो रेल ट्रांसिट सिस्टम (एम0आर0टी0एस0) द्वारा विनोद नगर डिपो के निर्माण हेतु 19.90 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं 1519 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रत्यावर्तित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 19.90 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है जिसे वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को **छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।**

3. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

4. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

1420/APCCF
8-12-14

153/C

5. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

6. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

9. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।

10. प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों (4'') द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक पीलर के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी। राज्य वन विभाग इसकी अनुपालना सुनिश्चित करेगा और इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जायेगी।

11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यदि आवश्यक हो तो भू–सरंक्षण के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाये जाऐंगे।

12. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के निर्धारित विभाग/प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा एवं आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा

13. प्रयोक्ता अभिकरण को यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

14. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, दिल्ली राज्य सरकार, वन एवं वन्यजीव विभाग, ए–ब्लाक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई0पी0 इस्टेट, नई दिल्ली–110002
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरी वन प्रभाग, दिल्ली राज्य सरकार, कमला नेहरू रीज, दिल्ली–110007
4. डी0सी0ई0 (सिविल), डी0ई0एम0आर0सी0, सीडबेड पार्क, गुरूद्वारा के पीछे, शकरपुर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–92
5. श्री आनन्द कुमार, आशुलिपिक, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली।

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (के0)